न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 24/2023

1. गोपाल पुत्र बाबूलाल जाति बलाई निवासी भैंसावा तह0 जोबनेर
2. कमलेश पुत्र बाबूलाल जाति बलाई निवासी भैंसावा तह0 जोबनेर
3. रामपाल पुत्र बाबूलाल जाति बलाई निवासी भैंसावा तह0 जोबनेर
4. प्रभुदयाल पुत्र चन्दाराम जाति बलाई निवासी भैंसावा तह0 जोबनेर
5. सुमन पुत्री बाबूलाल जाति बलाई निवासी भैंसावा तह0 जोबनेर
6. तीजादेवी पत्नि चन्दाराम (मृतक)
   6/1 गुलाब देवी पुत्री चन्दाराम जाति बलाई निवासी मेदपुरा तह0 जोबनेर
   6/2 विमला देवी पुत्री चन्दाराम जाति बलाई निवासी मेदपुरा तह0जोबनेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी कन्हैयालाल जाति बलाई निवासी भैंसावा तह0 जोबनेर
2. मूलचन्द पुत्र पन्ना (फौत)
   2/1 बनवारी लाल वर्मा पुत्र मूलचन्द
   2/2 ओमप्रकाश वर्मा पुत्र मूलचन्द
   2/3 प्रेमप्रकाश पुत्र मूलचन्द
   समस्त जाति बलाई निवासी भैंसावा तह0 जोबनेर जिला जयपुर
   2/4 नारायणी देवी पुत्री मूलचन्द पत्नी हेमराज जाति बलाई निवासी भोजपुरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर
   2/5 संतोष देवी उर्फ कौशल्या देवी पुत्री मूलचन्द पत्नी मूलचन्द (फौत)
   2/5/1 सीमा पुत्री मूलचन्द
   2/5/2 सुनीता पुत्री मूलचन्द
   2/5/3 कविता पुत्री मूलचन्द
   2/5/4 महेन्द्र पुत्र मूलचन्द
   समस्त जाति बलाई निवासी भोजपुरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर
3. माली देवी पत्नी रामचन्द्र जाति बलाई निवासी जाहोता तह0 आमेर जिला जयपुर
4. रतन लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई निवासी भैंसावा तह0 जोबनेर
5. सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर तहसील जोबनेर
6. उप पंजीयक जोबनेर तहसील जोबनेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार वर्मा वकील प्रार्थीगण

श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 08/09/2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 522/1/2.02, 523/0.04, 525/1.88 एवं 527/4.42 कुल किता 4 कुल

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रकबा 8.39 है0 ग्राम भैंसावा तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। विवादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। सभी पक्षकारान आपसी सहमति से आराजी को जोत रहे है। अप्रार्थीगण बिना वादीगण की सहमति के मन माफिक जगह पर कब्जा करना चाहते है। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 04 ने अपने हिस्से की भूमि को सोसायटी को विक्रय हस्तान्तरण कर दी है। अब सोसायटी से मिलकर विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा एवं प्लॉटिंग करने पर उतारू है। वादीगण को उसके हिस्से से बेदखल भी करना चाहते है।

अप्रार्थीगण ने 15.03.2023 में यह धमकी दी कि वे बिना सहमति के ही विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करेगें तथा तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल कर देगें। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त गैरकानूनी मनसूबों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से होना संभव नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ है। अतः अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत/व्यवधान उत्पन्न ना करने हेतु पाबंद फरमाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने हेतु पावंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विभाजन हो चुका है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने के तथ्य गलत है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने कि अधिकारी नहीं है। अतः जबाव पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश होने से खारिज योग्य है।

बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–75 विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार कास्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के अभाव में उभय पक्ष के द्वारा आराजी के विशिष्ट हिस्से पर अपना–अपना हक जताया जा रहा है। विभाजन से पूर्व आराजी के प्रत्येक इंच पर सभी पक्षकारान का हक है। उभय पक्ष के हित का निर्धारण भविष्य में मूल दावा में तनकी एवं साक्ष्य के आधार पर होगा। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजी का मौके पर बाहमी बंटवारा हो रखा है। परन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा बंटवारे का कोई प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थी संख्या 04 ने अपने हिस्से की भूमि को सोसायटी को विक्रय हस्तान्तरण कर दी है। अब सोसायटी से मिलकर विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा एवं प्लॉटिंग करने पर उतारू है। अगर अप्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर परिवर्तन कर दिया जावेगा। जिससे वाद बहुलता बढेगी। इसलिए प्रार्थीगण के हितों की रक्षा एवं वाद बहुलता कम करने हेतु उभय पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। अगर उभय पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो असुविधा भी प्रार्थीगण को अधिक होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में निहीत है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण में निहित है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर परिवर्तन कर दिया जावेगा तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.03.2023 को ताफैसला मुकदमा कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/09/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)